FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** इंदौर अर्बन **P.S. (थाना):** क्राइम ब्रांच **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0216 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 19/12/2025 23:05 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	467
3	भा दं सं 1860	468
4	भा दं सं 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** हस्तक्षेप दिन **Date from (दिनांक से):** 12/07/2023 **Date To (दिनांक तक):** 08/10/2023

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 12:01 बजे **Time To (समय तक):** 20:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/12/2025 **Time (समय):** 22:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 045 **Date and Time (दिनांक और समय):** 23:02 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** उत्तर, 3 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): पंजाब व सिंध बैंक शाखा, 13 पी वाय रोड, इंदौर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): **District (State) (ज़िला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** रमन अरोरा

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** गोवर्धन अरोरा

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1966

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	प्रकोष्ठ क्रं1002,ब्लॉक एक्वा, -2,ग्रेण्ड एक्जोटिका बिचौली, मर्दाना जिला इन्दौर, कनाडिया, इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	प्रकोष्ठ क्रं1002,ब्लॉक एक्वा, -2,ग्रेण्ड एक्जोटिका बिचौली, मर्दाना जिला इन्दौर, कनाडिया, इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9673211177

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुरेश पिंगले		पिता का नाम : विट्ठलराव पिंगले	1. 63,मिश्र नगर,अन्नपूर्णा रोड,इन्दौर,अन्नपूर्णा,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं माधव सिंह भदौरिया थाना अपराध शाखा में कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आवेदक रमण अरोरा पिता गोवर्धनदास अरोरा उम्र 59 साल नि.प्रकोष्ठ 1002 ब्लाक एक्वा-2 ग्रेण्ड एक्जोटिका बिचोली मर्दाना इन्दौर के द्वारा श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय अपराध शाखा इंदौर के समक्ष प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र का0शि0 152 दिनांक 01.03.2025 श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय के आदेश से जांच हेतु मुझे प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र जाँच में आवेदक रमन अरोरा, उनकी पत्नी संगीता अरोरा, शरद अग्रवाल, अनावेदक सुरेश पिंगले, नरेश नारवानी, शरद दुबे के कथनों, आईडीबीआई बैंक शाखा अरेरा हिल्स भोपाल के खाता क्रमांक 1068102000006439 के संबंध में

पत्राचार से प्राप्त जानकारी व दस्तावेजों से, थाना कनाड़िया की सूचनार्थ रिपोर्ट की छायाप्रति, स्टॉम्प वेण्डर प्रीति खाबिया से प्राप्त जानकारी, और राजकीय प्रश्नपद प्रलेख भोपाल से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया गया कि आवेदक रमन अरोरा के स्वामित्व की कंपनी सर्च स्मार्ट लोजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड के आईडीबीआई बैंक शाखा अरेरा हिल्स भोपाल के खाता क्रमांक 1068102000006439 को आवेदक द्वारा कार्य सुविधा की दृष्टि से दिनांक 04/06/2022 को बंद कराये जाने हेतु आवदेक के द्वारा बैंक की अधिकृत मेल आईडी पर ई-मेल से सूचना प्रेषित की गई थी तथा बैंक द्वारा उक्त खाता लेन देन नही होने से दिनांक 04/08/2022 को निष्क्रिय कर दिया गया था व दिनांक 07/02/2024 को खाता बंद कर दिया गया था उक्त खाते से संबंधित चैक बुक व स्टेटमेंट का मिलान आवेदक रमन अरोरा के कर्मचारी शरद अग्रवाल द्वारा किया गया जिसने दिनांक 06/06/2022 को कंपनी सर्च स्मार्ट लॉजिस्टिक प्रा.लि.के आईडीबीआई बैंक शाखा अरेरा हिल्स भोपाल के खाता क्रमांक 1068102000006439 की चेक बुक में से चेक संख्या 106425 गुम होने की जानकारी आवेदक रमन अरोरा को दी गई जिसके बाद दिनांक 06/06/2022 को ही आवेदक रमन अरोरा द्वारा उक्त चेक गुमने के संबंध मे लेखीय रूप से सूचना थाना कनाड़िया मे दी गयी तथा सूचना के संबध मे पावती प्राप्त की गई। उक्त गुमशुदा चेक क्रमांक 106425 के अनादरण के संबंध मे धारा 138 एनआईएक्ट का परिवाद अनावेदक सुरेश पिंगले द्वारा आवेदक रमन अरोरा व संगीता अरोरा (दोनो डायरेक्टर सर्च स्मार्ट लॉजिस्टिक कंपनी) के विरूद्ध माननीय न्यायालय इन्दौर मे प्रस्तुत किया गया उक्त वाद मे माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारंट से आवेदक को उक्त गुमशुदा चेक अनावेदक सुरेश पिंगले के पास होना ज्ञात हुआ। आवेदक रमन अरोरा द्वारा गुम हुई चेक क्रमांक 106425 को अनावेदक सुरेश पिंगले द्वारा अवैध रुप से प्राप्त कर उस पर षडयंत्र पूर्वक अवैध धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से राशि 3 करोड़ 50 लाख रूपये भरकर दुरूपयोग किये जाने के संबंध मे अपराध शाखा इन्दौर मे शिकायत की गयी आवेदन पत्र जांच मे पाया गया कि अनावेदक सुरेश पिंगले द्वारा आवेदक रमन अरोरा की कंपनी सर्च स्मार्ट लॉजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड के आईडीबीआई बैंक शाखा अरेरा हिल्स भोपाल के खाता क्रमांक 1068102000006439 की गुम हुई चेक क्रमांक 106425 पर फर्जी हस्ताक्षर कर राशि 03 करोड़ 50 लाख रुपए लेख कर दिनांक 12/07/2023 को पंजाब एवं सिन्ध बैक शाखा 13 पीवाय रोड इन्दौर मे प्रस्तुत किया गया उक्त चेक बैंक खाता ब्लॉक होने के कारण अनादरित हो गया जिसका रिटर्न मेमो दिनांक 13/07/2023 को पंजाब व सिंध बैंक शाखा पीवाय रोड़ इन्दौर से जारी हुआ। इसके बाद अनावेदक सुरेश पिंगले द्वारा सर्च स्मार्ट लाँजिस्टक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर रमन अरोरा एवं संगीता अरोरा के विरूद्ध धारा 138 एनआई एक्ट का परिवाद माननीय न्यायालय इन्दौर के समक्ष अवैध लाभार्जन करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। अनावेदक सुरेश पिंगले द्वारा उक्त गुमशुदा चेक क्रमांक 106425 का 3 करोड़ 50 लाख रुपए ठगने की नियत से षड़यंत्र पूर्वक दुरूपयोग किया गया जिससे अनावेदक सुरेश पिंगले का आपराधिक कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 420, 467, 468, 471 भादवि की श्रेणी का पाया जाने से जिला अपराध शाखा इन्दौर मे पदस्थ वरिष्ठ पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों की अनुमति और जिला अभियोजन संचालनालय जिला इन्दौर से प्राप्त अभिमत के बाद श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय के आदेश क्रमांक पु/उपा/अप/इं/1537/25

दिनांक 19/12/2025 के पालन मे अनावेदक सुरेश पिंगले के विरूद्ध धारा 420,467,468,471 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया जाता है। आवेदन नकल हस्वजेल है : प्रति, दिनांक : 28/02/2025 श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय, नगरीय पुलिस, अपराध शाखा, रानीसराय, रीगल चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) विषय : नरेश नारवानी, शरद दुबे व सुरेश पिंगले द्वारा आपस में संगनमत होकर षडयंत्रपूर्वक प्रार्थी के कूटरचित एवं फर्जी हस्ताक्षर कर इकरारनामा लेख निर्माण करके प्रार्थी की फर्म के गुम हुए बिना हस्ताक्षरित रिक्त चेक का दुरूपयोग करते हुए उस पर राशि रू. 3,50,00,000/- अंकित कर प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी से ब्लैकमेलिंग करते हुए अवैध वसूली के उद्देश्य से चेक को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत कर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कपोल-कल्पित तथ्यों व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अविधिक कार्यवाही प्रारंभ कराने वालों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने बाबद् । महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत मैं प्रार्थी रमण अरोरा, पता : प्रकोष्ठ क्रं. 1002, ब्लॉक एक्वा.प्प् ग्रेण्ड एक्जोटिका, बिचौली मर्दाना, तह. व जिला इन्दौर (म.प्र.) मो.नं. 9673211177 विनम्र निवेदन करता हूँ कि :- 1.यह कि, मेरी फर्म मेसर्स सर्च स्मार्ट लॉजिस्टिक प्रा.लि. जिसमें मुझ प्रार्थी के साथ मेरी पत्नी संगीता अरोरा भी उक्त फर्म में निदेशक है। मेसर्स सर्च स्मार्ट लॉजिस्टिक प्रा.लि., पता : राष्ट्रीय राजमार्ग, 12, ग्राम खिल्लीखेड़ा, औबेदुल्लाहगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) पर कम्पनी द्वारा ware housing का व्यापार संचालित किया जाता है। 2. यह कि, मेरी पुत्री गौरी अरोरा का विवाह करण ग्रोवर पिता श्री वेदप्रकाश ग्रोवर, निवासी : 61, पी.एन.बी.कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, शाहजहांनाबाद, भोपाल (म.प्र.) मो.नं. 98939-11155 से होने के उपरांत मेरी पुत्री के ससुर श्री वेदप्रकाश ग्रोवर मानद निदेशक हुये जो उक्त कम्पनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कम्पनी के चालू खाता क्रमांक 1068102000006439 आई.डी.बी.आई. बैंक, शाखा ई-6/61 व 76, सांईबाबा बोर्ड स्क्वेयर के पास, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) का संचालन करते थे, कम्पनी द्वारा बैंक से चेक क्रं. 106376 से 106425 तक कुल 50 नग की चेकबुक जारी करवाई गई थी, जिसमें से उनके द्वारा चेकबुक के क्रमानुसार मात्र 38 चेक का उपयोग व्यापार के उपक्रम में किया गया। 3. यह कि, कम्पनी द्वारा व्यवसायिक सुविधा की दृष्टि से कम्पनी के उक्त खाते को दिनांक 04/06/2022 को बैंक को विधिवत सूचना देकर बंद कर दिया गया व अन्य बैंक में खाता खुलवाया गया एवं बैंक द्वारा कम्पनी के नाम से जारी किये गये चेकों में से उपयोग नहीं आये चेकों को कम्पनी द्वारा बैंक में निरस्त करवा दिया गया है। 4.यह कि, पूर्व चरण 1 में वर्णित कम्पनी का समस्त हिसाब-किताब एवं लेखा-जोखा मेरे इन्दौर स्थित निवास स्थान पर रखा जाता है। दिनांक 06/06/2022 को मेरे कर्मचारी शरद अग्रवाल पिता श्री नंदकिशोर अग्रवाल, निवासी 203, मधुर अपार्टमेन्ट, 81, अशोक नगर, सपना-संगीता के पीछे, इन्दौर, मो.नं. 9977802552 द्वारा बैंक स्टेटमेन्ट का मिलान एवं अवलोकन करने पर मुझ प्रार्थी को बताया कि कम्पनी के उक्त वर्णित बंद खाते का अंतिम रिक्त चेक क्रमांक 106425 खो/गुम हो गया है, जिसकी सूचना मेरे द्वारा तत्काल श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना, कनाड़िया, इन्दौर पर विधिवत दिनांक 06/06/2022 को प्रदान की गई थी। 5.यह कि, तदोपरांत मुझे एवं मेरी पत्नी को माननीय न्यायालय से समंस प्राप्त हुआ कि सुरेश पिंगले द्वारा अन्य व्यक्तियों से संगनमत होते हुये उक्त चेक बुक के अंतिम रिक्त चेक नं.

106425 का दुरूपयोग कर उस पर मेरे असत्य व कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर उसे बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत कर अनादरित करवाकर मेरे एवं मेरी पत्नी के विरूद्ध असत्य आपराधिक प्रकरण फर्जी व कूटरचित इकरारनामा लेख व रिक्त चेक के आधार पर संस्थित किया गया है। 6. यह कि, मुझ प्रार्थी की एक अन्य फर्म मेसर्स वी एण्ड संस कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., निदेशक (रमन अरोरा पिता स्व. श्री गोवर्धन अरोरा) पता : प्रकोष्ठ क्रं. 1002, ब्लॉक एक्वा-2, ग्रेण्ड एक्जोटिका, बिचौली मर्दाना, तह. व जिला इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा मेसर्स थोलिया कॉलोनाईजर्स प्रा.लि. तर्फे निदेशक रमेश चौधरी, पता जी-2, मंगलम रेसीडेंसी, 93, श्रीनगर मेन, इन्दौर से सर्वे नं. 529/2/3 रकबा 0.107 हेक्टेयर भूमि ग्राम पिपल्याहाना, तहसील व जिला इन्दौर को ई-पंजीकरण संख्या MP179132023A11627426 दिनांक 23/03/2023 के द्वारा क्रय किया गया था। उक्त विक्रय पत्र पंजीयन में मेरे पारिवारिक मित्र नरेश नारवानी एवं शरद दुबे साक्षी थे एवं उपरोक्त भूमि को क्रय किये जाने की समस्त जानकारी नारवानी एवं दुबे को थी। 7. यह कि, महोदय, परिवादी सुरेश पिंगले द्वारा स्टॉम्प विक्रेता प्रीति खाबिया, पता जी/2, नेहा अपार्टमेन्ट, लालबाग, इन्दौर (म.प्र.) मो.नं. 9425329717 से भारतीय गैरन्यायिक स्टॉम्प क्रं. CA586552-CA586561 रजिस्टर सीरियल नं. 296 से 305, दिनांक 04/04/2023 को 100/-x10 Nos. रूपये 1000/- को मेरे नाम एवं पते का दुरूपयोग करते हुए क्रय किया गया है। सुरेश पिंगले द्वारा फर्जी तरीके से क्रय किये गये भारतीय गैरन्यायिक स्टॉम्प पर पूर्व चरण 5 में वर्णित सम्पत्ति एवं गुम हुए चेक क्रमांक 106425 का उल्लेख कर कपोल-कल्पित कहानी गढ़ते हुए मेरे कूटरचित एवं फर्जी हस्ताक्षर कर द्वितीयपक्ष के रूप में सुरेश पिंगले द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर एवं साक्षी के रूप में नरेश नारवानी एवं शरद दुबे द्वारा हस्ताक्षर करते हुए इकरारनामा लेख का फर्जी तरीके से दिनांक 04/04/2023 को तैयार किया गया एवं तत्पश्चात् दिनांक 12/07/2023 को सुनियोजित तरीके से षडयंत्रपूर्वक इकरानामा लेख में उपरोक्त वर्णित चेक को सुरेश पिंगले के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, शाखा पी.व्हाय.रोड़, इन्दौर के खाता क्रं. 01031100003541 में प्रस्तुत कर अनादरित करवा लिया गया, तत्पश्चात् माननीय न्यायालय के समक्ष असत्य आधारों पर आधारित झूठा बेबुनियाद परिवाद प्रस्तुत किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि सदर फर्जी तरीके से क्रय किये गये भारतीय गैरन्यायिक स्टॉम्प के पृष्ठ भाग पर सुरेश पिंगले पिता विट्ठलराव पिंगले के नाम एवं पते के नीचे ”हस्ते-सुरेश“ अंकित कर जो हस्ताक्षर ”सुरेश“ दर्ज किये गये एवं इसी इकरारनामा लेख के समस्त पृष्ठों पर सुरेश पिंगले द्वारा भिन्न हस्ताक्षर किये गये है। इससे स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है कि सुरेश पिंगले द्वारा स्टॉम्प वेण्डर के समक्ष उपस्थित होकर सदर स्टॉम्प क्रय किया ही नहीं गया है, सदर स्टॉम्प फर्जी तरीके से किसी अन्य के माध्यम से क्रय करवाया गया है। 8.यह कि, नरेश नारवानी एवं शरद दुबे मेरे पारिवारिक मित्र होकर पूर्व चरण 5 में वर्णित सम्पत्ति के क्रय किये जाने में साक्षी थे एवं सम्पत्ति सबंधी समस्त जानकारी होने का फायदा उठाते हुए भूमाफिया एवं आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त सुरेश पिंगले को उक्त षडयंत्र में शामिल कर लिया गया क्योंकि सुरेश पिंगले जमीनों की अफरा-तफरी करने में माहिर है तथा उसके वर्तमान सत्ताधारियों एवं शासन-प्रशासन एवं पुलिस विभाग एवं न्यायपालिका में घनिष्ठ संबंध व अच्छी जान-पहचान है। इसी के चलते सुरेश पिंगले द्वारा प्रार्थी के चेक एवं दस्तावेजों का दुरूपयोग किया गया है। 9. यह

कि, मेरे द्वारा परिवादी के अधिवक्ता से प्राप्त दस्तावेजों की छायाप्रतियों की जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ श्री संजय यादव, 203, प्रथम मंजिल, गरिमा आर्केड, एम.एल.बी. रोड़, शिंदे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर,
मो.नं. 7275557111 से करवाई गई है। उक्त जांच में हस्तलिपि विशेषज्ञ ने स्पष्ट किया है कि उक्त दस्तावेजों व चेक पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। 10. यह कि, मैं निजी तौर पर सुरेश पिंगले को नहीं जानता हूँ तथा इनसे मेरा किसी भी प्रकार से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी संचार माध्यम से कोई सम्पर्क अथवा लेन-देन नहीं है। मैं सुरेश पिंगले के महारानी रोड़ स्थित कार्यालय पर नरेश नारवानी के साथ एक मर्तबा गया था। मेरे द्वारा नरेश नारवानी, शरद दुबे एवं सुरेश पिंगले को किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज एवं चेक (हस्ताक्षरित/अहस्ताक्षरित) प्रदत्त नहीं किया गया है। 11. यह कि, इस प्रकार उक्त नरेश नारवानी, शरद दुबे एवं सुरेश पिंगले द्वारा आपस में सआशय संगनमत होकर मुझ प्रार्थी एवं मेरी पत्नी के साथ ब्लैकमेलिंग, डराने-धमकाने, अवैध वसूली करने की नियत से मेरे फर्जी एंव कूटरचित हस्ताक्षर कर मेरी फर्म के चेक का दुरूपयोग कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करवा दिया गया है। अतः श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि नरेश नारवानी, शरद दुबे व सुरेश पिंगले द्वारा आपस में संगनमत होकर षडयंत्रपूर्वक प्रार्थी के कूटरचित एवं फर्जी हस्ताक्षर कर इकरारनामा लेख निर्माण करके प्रार्थी की फर्म के गुम हुए बिना हस्ताक्षरित रिक्त चेक का दुरूपयोग करते हुए उस पर राशि रू. 3,50,00,000/- अंकित कर प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी से ब्लैकमेलिंग करते हुए अवैध वसूली के उद्देश्य से चेक को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत कर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कपोल-कल्पित तथ्यों व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अविधिक कार्यवाही प्रारंभ कराने वालों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी वास्ते : मेसर्स सर्च स्मार्ट लॉजिस्टिक प्रा.लि. रमण अरोरा (निदेशक) संलग्न : 1. आईडीबीआई बैंक से जारी चेकबुक की छायाप्रति। 2. कम्पनी द्वारा आईडीबीआई बैंक से जारी किये गये समस्त चेकों की छायाप्रति एवं बैंक स्टेटमेन्ट (श्री वेदप्रकाश ग्रोवर के हस्ताक्षरित) 3.प्रार्थी द्वारा खाता बंद करने की सूचना दिनांकित 04/06/2022 4. प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना, कनाड़िया, इन्दौर पर चेक क्रं. 106425 गुम होने की सूचना दिनांकित 06/06/2022। 5. विक्रय पत्र पंजीयन की छायाप्रति दिनांकित 23/03/2023। 6. माननीय न्यायालय में परिवादी के अधिवक्ता से प्राप्त इकरारनामा लेख एवं चेक की छायाप्रति दिनांकित 04/04/2023 7. हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट दिनांकित 21/09/2024 आवेदक के हस्ताक्षर अंग्रेजी में अपठनीय ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** VISHNU WASKALE **Rank (पद):** निरीक्षक

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MADHAV SINGH BHADORIYA

Rank (पद): निरीक्षक-कार्यवाहक

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14.

Name (नाम): JITENDRA CHOUHAN

Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1965				रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13
भुजाये: मुड़ी हुई टांग: बहरा / गूंगा: कान निहाई: कान विकृत: गुम कान: अतिरिक्त उंगली: गुम उंगली: कंठमाला: कूबड़ / झुकी हुई पीठ: ठक घुटने: पैर: लंगड़ाहट: पैर की अतिरिक्त अंगुली: पैर की गुम अंगुली:		बालों का रंग: बालों की कटाई: बाल डाई: बालों की लंबाई: बालों का स्टाइल: बालों का प्रकार: बालों का सीधा पन: विग का उपयोग:	नेत्रहीन: आँखे टिमटिमाना: भौंह का आकार: भौंह की मोटाई: आंखों का रंग: आंखों के प्रकार: चश्मे का प्रकार: भेंगा: चश्मे का प्रयोग:		जूते: आंतरिक तल: आंतरिक शीर्ष: बाहरी तल: बाहरी शीर्ष: मौसमी/उपसाधन तल: मौसमी/उपसाधन शीर्ष:

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)